E-AP

कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांकःआर–50/जे0डी0/जीबीएन–14(गा0बाद)/222 दिनांकः अगस्त 9 2014,

सेवा मे,

सहायक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स एस0जी0 इस्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0–145, एवं 199 ग्राम मोरटी, जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यू0आई0डी0: 2014/1940/जीजैडबी/गाजियाबाद/161/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 222/मा0प्लान/14 दिनांकः 07–07–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके अनुपालन मे आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुये प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 30–07–2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांकः 02–08–2014 उप निदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–24,210.760 वर्ग मी0 है, एवं नेट प्लाट एरिया–19,194.102 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित टावरो का एरिया विवरण निम्नवत हैः–
2–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–6306.696 वर्ग मी0 है।
3–अपर लोअर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–13982.707 वर्ग मी0।
4–लोवर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–13,982.707 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम ब्लाक एवं तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयरकेश की चौडाई मीटर मे	ऊँचाई मी0 मे।
1	टावर–ए0बी0–02बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	2711.027	30703.053	05 अदद–01.50	59.30
2	टावर–सी0डी0ई0–02बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	2737.104	33543.227	05 अदद–01.50	59.30
3	टावर–एफ0–02बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 16 तल	595.995	7355.086	02अदद–1.50/1.50	50.45
4	कॉन्वीनिऐन्ट शॉप– भूतल	262.570	262.570	–	03.50

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 17 मीटर (विद्यमान–5 मीटर एवं 12 मीटर प्रस्तावित) मानचित्रों मे दर्शाया गया है जो मानको के अनुसार है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश एवं निकास द्वार की चौडाई–04.50 मी0 प्रस्तावित है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित परिसर में चारो ओर 15.00 मी0 सैटबेक प्रदर्शित है। सैटबेक में अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओ हेतु न्यूनतम वॉच्छनीय भवन के चारो ओर 06.00 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान प्रस्तावित है जिसको सदैव अवरोध मुक्त ओपन टू स्काई रखा जाना अनिवार्य है जिसमे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित आवासीय भवन स्टेयरकेश उपरोक्त तालिकानुसार प्रस्तावित है जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 एवं भवन विनियमावली के अनुसार प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा प्रत्येक टावर मे एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत आवासीय भवन मे अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास विद्युत चालित मैन पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0, समान क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 150 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प एन0बी0सी0 एवं बी0आई0एस मानक के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः प्रस्तावित आवासीय भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार लीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

5–होजरीलः– प्रस्तावित आवासीय भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉचछनीय है।

7–यार्ड हाईड्रेटसः– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाइन एवं यार्ड हाईड्रेण्टस एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– आवासीय भवन के बेसमेन्ट/स्टिल्ट, कामर्शियल एरिया तथा 45 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त टावरों मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया– 2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है। बेसमेन्ट मे इस प्रकार वाटर कर्टेन का प्राविधान कराया जाये कि एन0बी0सी0 मानक के अनुसार कम्पार्टमेन्टेशन हो सके।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–पी0ए0 सिस्टमः– भवन पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस0जी0 इस्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0–145, एवं 199 ग्राम मोरटी, जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित आवासीय भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र 18 अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0, लखनऊ।

फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स एस0जी0 इस्टेट लि0 द्वारा खसरा नं0–145, एवं 199 ग्राम मोरटी, जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।